न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 64 / 2019

वादी बनाम	प्रतिवादी
1 हनुमानराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाडमेर।	1 चेतनराम पुत्र मगाराम 2 ठाकराराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील बाडमेर 3 सुगणीदेवी पत्नी घमण्डाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी तहसील बायतु 4 पारूदेवी पत्नी हुकमाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी 5 चुन्नीदेवी पत्नी पूनमाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी सांगाणा कुआ, बेरीवाला तला तहसील बाडमेर 6 अमरूदेवी पत्नी सोनाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी शहर तहसील गिडा 7 पूरोदेवी पत्नी रेखाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी खीपसर तहसील बायतु जिला बाडमेर 8 तहसीलदार बाडमेर 9 नन्दराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री पुन्नाराम जांगीड़ वकील वादी।

2. श्री दुर्गाराम पुनिया वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 07।

निर्णय

दिनांक 27.2.20

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 मगाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07, प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्र–पुत्रियां होने से विधिक वारिस है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षैत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 777 / 159 रकबा 23.00 बीघा खसरा संख्या 773 / 149 रकबा 102.15 बीघा कुल रकबा 125.15 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि मगाराम की खातेदारी की थी। मगाराम के देहान्त पर उक्त भूमि उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम व उसके भाई नंदराम के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम व उसके भाई नंदराम ने बंटवाड़ा करवा लिया है जिससे उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 07 प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम की विधिक वारिस है। प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम को अपने पिता मगाराम की फौतगी के विरासत के नामान्तकरण से प्राप्त हुई उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि में वादी का जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादी का 1 / 8 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादी अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 02 से 07 की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से उनका भी उक्त भूमि में जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा उन्हे भी वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1 / 8–1 / 8 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता मगाराम की मृत्यु पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 चेतनराम के नाम दर्ज हो

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

गई। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 07, प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्र–पुत्रियां होने के कारण पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का हिस्सा जन्म से निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 को उक्त भूमि में सहखातेदार घोषित कर 1/8 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र तथा जवाब दावा में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादी का 1/8 हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 02 से 07 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र–पुत्रियां होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा जन्म से निहित है, जिसे घोषित करवाने के प्रतिवादी संख्या 02 से 07 अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 व 2070 से 2073 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक ईकबाली जवाब एवं प्रतिदावा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षैत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 777/159 रकबा 23.00 बीघा खसरा संख्या 773/149 रकबा 102.15 बीघा कुल रकबा 125.15 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 07 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष प्रतिवादी नन्दराम का हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.2.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)　　　　अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 हनुमानराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाडमेर।		1 चेतनराम पुत्र मगाराम 2 ठाकराराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील बाडमेर 3 सुगणीदेवी पत्नी घमण्डाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी बायतु भीमजी तहसील बायतु 4 पारूदेवी पत्नी हुकमाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी 5 चुन्नीदेवी पत्नी पूनमाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी सांगाणा कुआ, बेरीवाला तला तहसील बाडमेर 6 अमरूदेवी पत्नी सोनाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी शहर तहसील गिडा 7 पूरोदेवी पत्नी रेखाराम पुत्री चेतनराम जाति जाट निवासी खीपसर तहसील बायतु जिला बाडमेर 8 तहसीलदार बाडमेर 9 नन्दराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88, 40 व 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 64/2019
निर्णय दिनांक :– 27.2.20

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 07 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 777/159 रकबा 23.00 बीघा खसरा संख्या 773/149 रकबा 102.15 बीघा कुल रकबा 125.15 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 07 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नन्दराम का हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 27.2.20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर)

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

F:\SDM Barmer\Lalit Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.24 15:16:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: